

### ई-निविदा सूचना संख्या 04 वर्ष 2017-18

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये सक्षम श्रेणी में पंजीकृत फर्मो/सर्वेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरींग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमन्त्रित की जाती है।

निम्नलिखित चकों में पक्के खालों का निर्माण कार्य (गंग कैनल सिस्टम) विभागीय डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन के अनुसार (समस्त निर्माण सामग्री ठेकेदार की स्वयं की होगी।

क्र. स.	निम्न चकों में पक्का खाला निर्माण कार्य	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि		ई-टेण्डरींग प्रक्रिया शुल्क	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
			2 प्रतिशत	1/2 प्रतिशत			
1	CHAK 8 FF	33.50	67000	16750	500	1000	5 माह
2	CHAK 12 FF	20.40	40800	10200	500	1000	5 माह
3	CHAK 14 FF-II	19.80	39600	9900	500	1000	5 माह
4	CHAK 1 FFB-II	16.70	33400	8350	500	1000	5 माह
5	CHAK 2 FD-I	24.70	49400	12350	500	1000	5 माह
6	CHAK 12 H	16.70	33400	8350	500	1000	5 माह
7	CHAK 21 F	46.90	93800	23450	500	1000	5 माह

- निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>. से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>. पर जमा कराये। यह निविदा वेबसाईट <http://www.deproline.org> तथा विभागीय वेबसाईट <http://www.cad.rajasthan.gov.in>. & <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।
- निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 30.10.17 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 20.11.2017 सांय 6.00 बजे तक होगी।
- (अ) निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फारमेट वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>. पर दिनांक 30.10.2017 प्रातः 10.00 बजे से 20.11.2017 सांय 6.00 बजे तक जमा/अपलोड कराये जा सकते है एवं प्राप्त तकनीकी निविदाएं इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>. पर दिनांक 21.11.2017 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।
- (ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।
- (स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो इसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।

(द) उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 में दर्शायी गई धरोहर राशि अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में भुगतान योग्य बैंकर चैक/डीडी दिनांक 20.11.2017 सायं समय 6:00 बजे तक जमा करवानी होगी।


4. कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
5. कार्यों से संबंधित निविदा प्रपत्र ई-निविदा सूचना के प्रकाशन दिनांक से 20.11.2017 तक 10.00 बजे से 6.00 बजे तक देखा जा सकता है।
6. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशी डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दिनांक 20.11.2017 को सायं 6.00 बजे तक जमा करवाना आवश्यक है।
7. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित वृत्त अथवा खण्ड में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
8. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवा लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
9. निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में इस कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करवाना आवश्यक है।
10. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
11. आर.पी.डब्ल्यू ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।
12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिए निर्धारित मशीनरी एवं साज समान जो निविदा की स्पेशल कन्डीशन में वर्णित है को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
13. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित है।
14. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात् एक पूरी वर्षा की समाप्ति या कार्य पूर्ण करने की अवधि की तिथि के 6 मास पश्चात् तक जो भी पश्चातवर्ती हो तक रहेगा।
15. निविदा खोलने की दिनांक से निविदा स्वीकृत हेतु मान्य अवधि तक यदि निविदादाता अपनी निविदा में कोई संशोधन करता है अथवा निविदा वापिस लेता है तो उसकी धरोहर राशी जब्त कर ली जावेगी।
16. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ-1 एफ.डी./जीएफएण्डआर/2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार रू. 1000/- एव 500/- रुपये की राशि अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में देय होंगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए तथा निविदा शुल्क के साथ जमा करवाया जाना है।
17. ई-टेंडरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश

(अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।

(ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टीफिकेट इनफोरमेशन टैकनोलोजी एक्ट-2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलैक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टीफिकेट

सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टीफिकेट है, नया डिजिटल सर्टीफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

- (स) निविदादाताओं का निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होगा।
- (द) ऑनलाइन निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम सं. 3 के अनुसार खोली जायेगी।
- (य) इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें की निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर के साथ स्कैन करते हुये दस्तावेजों को दिनांक 20.11.2017 शाम 6:00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करवावें।
- (र) कोई भी टैण्डर इलैक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग नहीं होगा।
- (ल) टैण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
18. संविदाकर्ता/टेकेदार द्वारा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियो एवं सेवा शर्तें विनि) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजियन करवाना होगा तथा श्रमिकों का उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय हित लाभ व सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जावेंगी। निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिशत उपकर अधिनियम के अन्तर्गत काटा जायेगा।
19. निर्माण कार्यों में मसाला मिलाने के लिये मिक्सर का प्रयोग करना होगा।
20. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे ईन्ट, बजरी, सिमेन्ट इत्यादि के टेस्ट रिजल्ट सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ही उपयोग में लेना होगा।
21. शर्त युक्त निविदा मान्य नहीं होगी।



अधिशायी अभियन्ता

गंगनहर ओ०एफ०डी० खण्ड पंचम

सि०क्षे०वि० श्रीकरणपुर।

क्रमांक 1720-1740

दिनांक : 12.10.2017

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है :-

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, सी.ए.डी. (पश्चिम) बीकानेर।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सिं.क्षे.वि. ओ.एफ.डी. वृत्त इ.गा.न.प. बीकानेर।
3. श्रीमान् नोडल ऑफिसर (वेबसाईट) एवं अधि. अभि. व तकनिकी सहायक आयुक्त सिं.क्षे.वि, बीकानेर को मय सीडी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. अधिशायी अभियन्ता खण्ड- सिं.क्षे.वि.
5. सहायक अभियन्ता गंगनहर ओ.एफ.डी. उपखण्ड 16/17/18/19 सिं.क्षे.वि. श्रीकरणपुर।
6. कान्ट्रेक्टर एसोसिएशन, बीकानेर/श्रीगंगानगर
7. वरिष्ठ प्रारूपकार/खण्डीय लेखाकार/कैशियर, खण्डीय कार्यालय।
8. नोटिस बोर्ड।

अधिशायी अभियन्ता

गंगनहर ओ०एफ०डी० खण्ड पंचम

सि०क्षे०वि० श्रीकरणपुर।